



2026:AHC:39054-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 2023/2026

अरविन्द कुमार पाण्डेय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विजय विक्रम सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. सर्वप्रथम, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान मामले में, अन्वेषण पहले ही समाप्त हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रस्तुत कर दी गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और कहते हैं कि वह इस रिट याचिका को पेश नहीं करना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”